


## -ःआवश्यक सूचनाः-

२६/०७/२०१८  
दिनांक:- २६/०७/२०१८

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ के द्वारा भेजी गयी संलग्न सूची के अनुसार विश्वविद्यालय के वर्ष २०१७-१८ में अल्पसंख्यक के कुछ छात्र/छात्राओं ने शुल्क प्रतिपूर्ति /मेरिट कम मीन्स दो योजनाओं के अन्तर्गत दो बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है जो कि विभाग के निर्देशानुसार गलत व नियम के विरुद्ध है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो दोहरा लाभ प्राप्त कर चुके हैं वह छात्रवृत्ति अनुभाग (एकेडमिक सेवकशन) में आकर सम्पर्क करें। अन्यथा दोहरा छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने की दशा में १८% १८% व्याज की दर से पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी एवं परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया जायेगा।

  
M.K. Lalit  
26/7/18

प्रौ० एम० ए० खालिद  
डी० एस० डब्ल्यू  
इन्टिग्रल युनिवर्सिटी